भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1691

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: जीएम फसलों पर प्रतिबंध

1691. डॉ॰ सुकान्त मजूमदारः

श्री खगेन मुर्मुः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जीन-संवर्धित (जीएम) कई फसलों की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न हिस्सों से जीन-संवर्धित फसलों जैसे बीटी कॉटन, बीटी बैंगन की अवैध खेती की घटनाएं सामने आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में जीएम फसलों की शुरुआत के लिए विभिन्न उपाय और जैव-सुरक्षा नयाचार बनाए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): केवल आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) बीटी कपास ही एक ऐसी फसल है जिसे वर्ष 2002 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति द्वारा देश में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदन दिया गया था। इसलिए भारत में अन्य गैर-अनुमोदित जीएम फसलों की खेती प्रतिबंधित है।

(ग) एवं (घ): महाराष्ट्र, हरियाणा,पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बीटी बैंगन और एचटी कपास की खुलेआम खेती करने के कुछ संदेहास्पद मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने बीटी बैंगन और एचटी कपास के प्रसार पर रोक और नियंत्रण लगाने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की हैं। राज्य सरकारों ने सभी जिला प्रशासन को जीएम फसलों के उत्पादन और इनकी अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए हैं।

(ड.) एवं (च): देश में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत "खतरनाक सूक्ष्म जीव, आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित जीव अथवा कोशिका, 1989 के विनिर्माण/उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण नियमावली" के अनुसार जीएम फसलों के अनुमोदन हेतु सुव्यवस्थित विनियामक फ्रेमवर्क मौजूद है।

जीएम फसलों के प्रत्येक अनुप्रयोग का मूल्यांकन समय-समय पर नियमावली, 1989 के तहत विभिन्न विनियामक एजेंसियों द्वारा विनियत दिशा-निर्देशों, मैनुअल और निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से स्वास्थ्य, पर्यावरण,खाद्य एवं आहार संबंधी किए गए सुरक्षा मूल्यांकन अध्ययन की विस्तृत जांच के बाद मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। आवेदकों द्वारा सृजित डेटा की समीक्षा नियमावली, 1989 के तहत विभिन्न वैधानिक समितियों जैसे संस्थागत जैव सुरक्षा समिति, आनुवंशिक कार्यसाधन समीक्षा समिति व आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति द्वारा जीएम फसलों के विकास की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में की जाती है।

आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीव एवं उत्पाद से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों और नयाचार की एक सीरीज जारी की गई है जो निम्नानुसार है।

i. पुन: संयोजन डीएनए सुरक्षा दिशा-निर्देश, 1990
ii. ट्रांसजैनिक पादप अनुसंधान संशोधित दिशा-निर्देश, 1998
iii. आनुवंशिक रूप से अभियांत्रीकृत पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के सुरक्षा आकलन हेतु दिशा-निर्देश, 2008
iv. विनियमित, अनुवांशिक रूप से अभियांत्रीकृत (जीई) पादपों के सीमित फील्ड ट्रायल की निगरानी हेतु दिशा-निर्देश, 2008
v. विनियमित, अनुवांशिक रूप से अभियांत्रीकृत (जीई) पादपों के सीमित फील्ड ट्रायल के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2008
vi. जीई फसलों की खाद्य एवं आहार सुरक्षा आकलन हेतु नयाचार, 2008
vii. संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (आईबीएससी), हेतु दिशा-निर्देश एवं हैंडबुक, 2011
viii. आनुवंशिक रूप से अभियांत्रीकृत पादपों का पर्यावरणीय जोखिम आकलन, हितधारक मार्गदर्शिका, 2016
ix. आनुवंशिक रूप से अभियांत्रीकृत पादपों का पर्यावरणीय जोखिम के आकलन हेतु दिशा-निर्देश, 2016
x. जोखिम विश्लेषण फ्रेमवर्क, 2016

****